न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2020-00007Ju2020-03 Subhashram etc Vs Jagdish etc

01. सुभाषराम पुत्र श्री हरिराम
02. जानकी पत्नी श्री हरिराम
03. सिंवरी पत्नी श्री सोहनलाल
04. राकेश पुत्र श्री सोहनलाल
05. बेबी पुत्री श्री सोहनलाल नाबालिग जरिये वलिया माता सिवंरी पत्नी श्री सोहनलाल सभी जातियान जाट, निवासीगण- बारनीखुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. जगदीश पुत्र श्री भीखाराम
02. बाबुलाल पुत्र श्री भीखाराम
03. उम्मेदराम पुत्र श्री भीखाराम सभी जातियान् जाट, निवासीगण- बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर भोपालगढ द्वारा दिनांक 09 अगस्त 2019 राजस्व पार्थना पत्र संख्या 07/2018 जगदीश बनाम सुभाषराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री जुगलकिशोर पांगा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन

नि र्ण य

दिनांक : 22 अक्टूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2018 जगदीश बनाम सुभाषराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 अगस्त 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 13 जनवरी 2020 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुई देरी का माफ किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या एक से तीन ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 455 मौजा बारनी खुर्द में आई हुई है, जिसमें आने जाने हेतु खसरा नं. 453/1 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे उत्तर से दक्षिण 15 फुट चौड़ाई का रास्ता चल रहा है जो अप्रार्थी संख्या 3 की ढाणी से आगे से होकर चलता है। इस रास्ते को 15 फुट चौड़ाई का घोषित करवाना चाहता है। आगे कथन किया कि कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा अप्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि लेना चाहते है तो प्रार्थी भूमि देने के लिए भी सहमत है अन्यथा डी.एल.सी. के अनुसार पैसे देने के लिए सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक व 3/2 ने तथा तहसीलदार भोपालगढ की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2019 को अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा जो विकल्प जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराये जाने का था, उसके उपर गौर नहीं करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी, यद्यपि कुछ की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ था, फिर भी उन तथ्यों के बाबत जांच करना आज्ञापक था, परन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच नहीं की एवं मनमाने रूप से आदेश पारित कर दिया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जहां से प्रार्थी ने रास्ता चाहा है, वहां से भी नहीं दिया और मनमाने रूप से अन्य जगह पर जाकर रास्ता घोषित किया है, जबकि प्रार्थी स्वयं रास्ता अपीलार्थी के खेत की पूर्वी माठ से चाह रहा था, वो भी जमीन के बदले जमीन देकर, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर भारी त्रुटि कारित की है। प्रार्थी ने सुखाचार बाबत रास्ते का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा रास्ते को चलायमान बताया है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि आलौच्य आदेश अपीलांट्स की पीठ के पीछे पारित कर दिया। अधिवक्ता ने आदेश पारित होने के बाबत प्रार्थी को कभी नही बताया। हाल ही मे दिनांक 03.01.2020 को जब हल्का पटवारी मौके पर आया व नाप तौल करने लगा तब उससे पूछा गया, तब उसने बताया कि आपके विरुद्ध आदेश हुआ है। मैं जमीन नापकर रास्ते हेतु तरमीम करना चाहता हूँ। तब दिनांक 06.01.2020 को प्रार्थी भोपालगढ गया व अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब मालुम चला कि आदेश तो काफी पहले हो चुका है, आपको सूचित नहीं कर सका, तब उसी रोज नकल हेतु आवेदन किया जो तैयार कर उसी रोज उपलब्ध करवा दी, तब प्रार्थी ने जोधपुर आकर दिनांक 07.01.2020 को अधिवक्ता से सलाह मश्वीरा किया, जिन्होने अपील प्रस्तुत करने का कहा। अपीलार्थी वापिस अपने गावं गया व खर्चे की व्यस्था की एवं पुनः जोधपुर आया और अपील तैयार करवाई जो प्रस्तुत है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे तथा अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 अगस्त 2019 को अपास्त फरमाया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के खेत की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे रास्ता चाहा गया, परन्तु पूर्वी माठ पर अपीलांट का मकान बना हुआ होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार भोपालगढ द्वारा प्रस्तुत जवाब मय नजरी नक्शे के आधार पर पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे रास्ता प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया गया तथा उसको अपीलाधीन आदेश की भली-भॉति जानकारी थी। अपीलांट को जानकारी होने के बावजूद भी अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई विधिसम्मत कारण नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में विश्वास जताते हुए अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुई देरी को न्याय हित में माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर <u>अप्रार्थीगण/अपीलांट</u> एवं तहसीलदार भोपागलढ के जवाब के आधार पर अपीलांट के खेत खसरा नं. 543/1 की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे रास्ता प्रदान किया गया। अपीलांट के उज्र है कि प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा खसरा नं. 453/1 के पूर्वी माठ के सहारे-सहारे चाहे गये रास्ते के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुतोष के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चिमी माठ के सहारे रास्ता प्रदान किया। तहसीलदार भोपालगढ के जवाब से अपीलांट का यह उज्र समाप्त हो जाता है कि खसरा नं. 453/1 की पूर्वी माठ पर अपीलांट के मकान बने होने से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में **अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नियमानुसार मौके पर वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता एवं वस्तुस्थिति बाबत कोई मौका रिपोट ही तलब किया जाना नहीं पाया जाता है।** इन परस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 अगस्त 2019 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रास्ते की वस्तुस्थिति बाबत भू-अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट तलब कर गुणावगुण पर विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31 दिसंबर 2021 को उपस्थित रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर